Q274

http://labour.mp.gov.in/Default.aspx

http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

/.labour.mp.gov.in/La × Google ×

www.labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

read) - sapna_... @Gov MAP_IT HRMS Google Chrome Imported From IE Motivational Semin... www.pmi.org/certifi... Watch the Online Vi... 18.08.15 Print Advertisement...

(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि

(i)साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, 'Other Departments' बटन पर क्लिक करें एवं 'Departments' के अन्तर्गत 'Labour' का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरें! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेज़री वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

(ii)बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करें तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)

(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची

(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारुप

(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश

(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरिक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध मे निर्देश।श

(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देशश

(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

V. फीडबेक, सुझाव एवं शिकायतें

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

(12) **कारखाना अधिनियम 1948**

(1) अधिनियम की धारा 6 से 7 के तहत कारखाना लायसेंस संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करवाये जाना

(II) अधिनियम की धारा 11 से 20 के तहत श्रमिको के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाना जिसमें धूल एवं गैसेस कि स्थिति,पीने का पानी, एवं शौचालय के प्रावधानो के पालनो को सुनिश्चित करवाना

(iii) धारा 21 से 40 बी तक के सुरक्षा संबंधी प्रावधानो को सुनिश्चित करवाया जाना जिसमे मुख्यतः प्लांट एवं मशीनो से सुरक्षा एवं खतरनाक गैसेस,आग एवं विस्फोटक स्थिति एवं सामाग्री से बचाव सुनिश्चित करवा जाना तथा श्रमिको के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणो के उपयोग को सुनिश्चित करवाया जाना

(iv) धारा 41 बी,41 सी, 41 एफ, जिसमें खतरनाक कारखानो में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ,श्रमिको के स्वास्थ्य परीक्षण के रिकार्ड, सुपरवीजन, आक्युपेशनल हेल्थ सेंटर एवं कार्य वातावरण में खतरनाक रसायनो कि जांच संबंधी प्रावधानो का पालन सुनिश्चत करवाया जाना है ।

(v) अधिनियम कि धारा 42 से 50 तक के प्रावधान जिसमें मुख्यतः प्रथमोउपचार व्यवस्था केन्टीन एवं झूला घर संबंधी प्रावधानो को सुनिश्चित करवाया जाना ।

(vi) धारा 51 से 62 तक के प्रावधान जिसमें श्रमिको के कार्य के समय, भुगतान,ओवंर

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

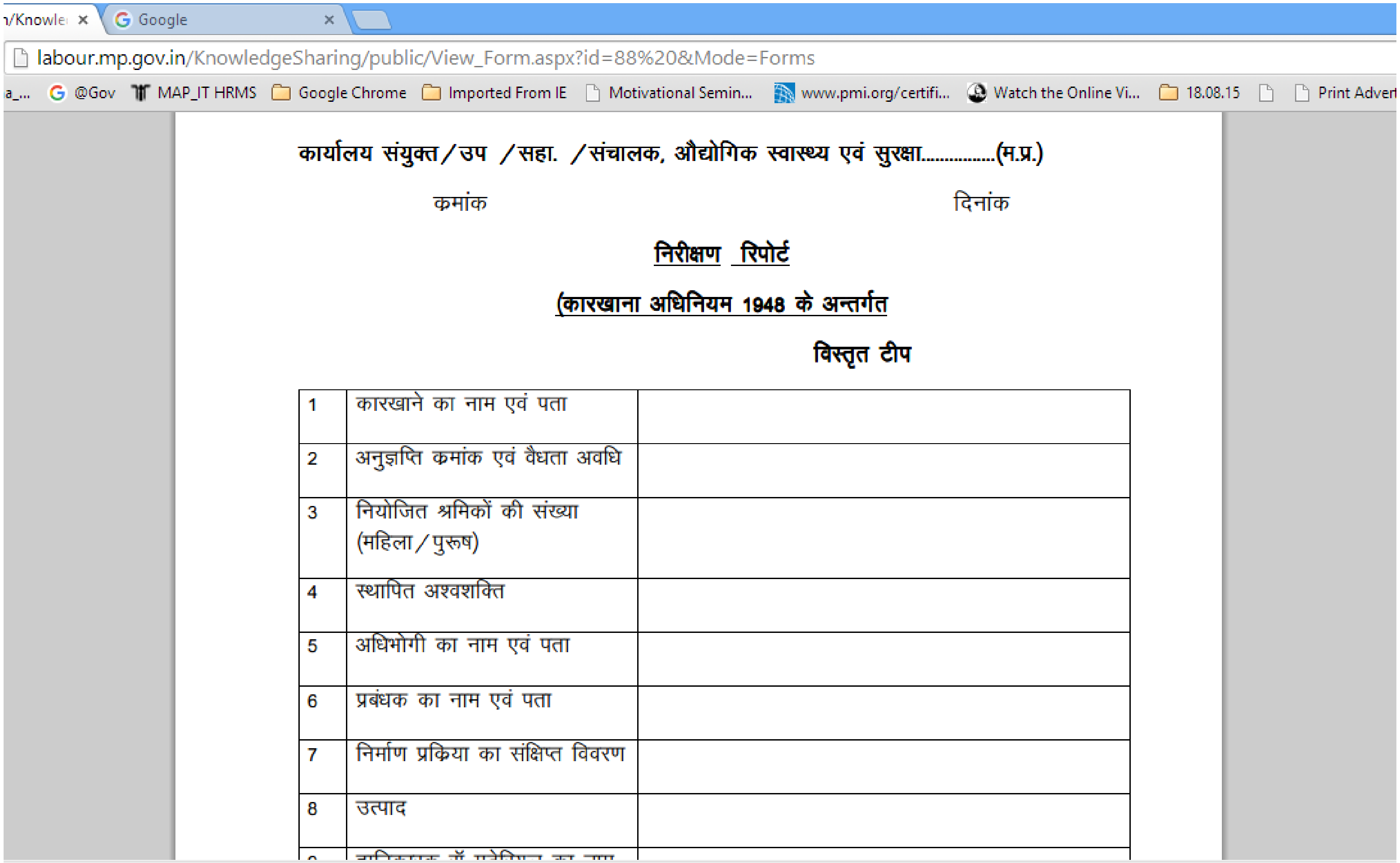

कार्यालय संयुक्त/उप /सहा. /संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..............(म.प्र.)

क्रमांक दिनांक

निरीक्षण रिपोर्ट

(कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत

विस्तृत टीप

1	कारखाने का नाम एवं पता	
2	अनुज्ञप्ति क्रमांक एवं वैधता अवधि	
3	नियोजित श्रमिकों की संख्या (महिला/पुरूष)	
4	स्थापित अश्वशक्ति	
5	अधिभोगी का नाम एवं पता	
6	प्रबंधक का नाम एवं पता	
7	निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	
8	उत्पाद	

http://www.labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=317

Google

www.labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=317

a_... @Gov MAP_IT HRMS Google Chrome Imported From IE Motivational Semin... www.pmi.org/certifi... Watch the Online Vi... 18.08.15 Print Adv

Circular Details: Enforcement target for year 2015-16.

Circular No :	5977-91	Circular Date :	09/07/2015	
Circular Subject :	Enforcement target for year 2015-16.	Attached File :	Download Attachment	View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	For Whom :	Public	

अंतर्गत संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारीगण कारखानों के निरीक्षण करते हैं। उक्त निरीक्षणों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही बाबद् निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. प्रत्येक अतिखतरनाक श्रेणी तथा खतरनाक श्रेणी के कारखानों के वर्ष में कम से कम एक बार विस्तृत निरीक्षण किये जाकर उसमें की गई श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा प्रबंधन से पाई गई कमियों को दूर कराकर सुरक्षा व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनावें।

2. प्रत्येक अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों की आन साईट आपात योजना के रिहर्सल के दौरान अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें तथा पाई गई कमियों को प्रबंधन के संज्ञान में लाकर उसे दूर कराया जावे।

3. कारखानों के निरीक्षण चेक लिस्ट अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि एक ही निरीक्षण में एक से अधिक प्रावधानों के परिपालन की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं बारम्बार कारखाने के निरीक्षण का मौका न आवे। किसी भी कारखाने का वित्त वर्ष में एक बार से अधिक निरीक्षण आवश्यक हो तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर किया जावे।

4. बगैर अनुज्ञप्ति प्राप्त किये गये चलते पाये जाने वाले कारखानों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यालय को मय प्रमाण के सात दिवस के अन्दर प्रेषित करें।

5. कारखानों में घटित प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की जॉच तत्काल की जावे

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

Circular Details | Google | Google | Search | Search

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

25 May 2016, 13:45:10 IST | Portal Home | Login |

Madhya Pradesh Labour Portal

Madhya Pradesh Government, Labour Department

Menu

Home |

Circular Details: Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17

Circular No :	1/17/IX/Enf/2016/7927-95	**Circular Date :**	10/03/2016
Circular Subject :	Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17	**Attached File :**	Download Attachment View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	**For Whom :**	Public

ILVCircular.aspx 1 / 3

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर–452007
Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95 **इन्दौर, दिनांक** 10-3-16

प्रति,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)

समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)

समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज